भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2375

सोमवार, 18 दिसम्बर, **202**3/27 अग्रहायण, **194**5 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए मेगा-ट्रेंड्स की पहचान

†2375. श्री के. नवासखनी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश का पर्यटन उद्योग वर्ष 2047 तक एक ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की ओर अग्रसर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अगले दशक में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए मेगा-ट्रेंड्स की पहचान करने हेतु उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय द्वारा "भारत और कोरोना वायरस महामारी: पर्यटन में लगे परिवारों के लिए आर्थिक हानि और वसूली के लिए नीतियां" पर किए गए अध्ययन के अनुसार, यह अपेक्षा की जाती है कि पर्यटन व्यय के संदर्भ में पर्यटन अर्थव्यवस्था वर्ष 2024-25 तक महामारी-पूर्व के अपने स्तर को पुन प्राप्त कर लेगी, जो मुख्य रूप से घरेलू पर्यटन द्वारा संचालित होगी और इसके वर्ष 2028-29 तक महामारी-पूर्व स्तर से 4 गुना तक बढ़ने की संभावना है ।

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पर्यटन का योगदान नीचे दिया गया है:

सूचक	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
कुल पर्यटन जीडीपी (करोड़ रु. में)	**1041747.04**	**297432.99**	**415689.03**
जीडीपी में कुल पर्यटन शेयर **(%)**	**5.18**	**1.50***	**1.77**

स्रोत: राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) ने राष्ट्रीय अकाउंट सांख्यिकी 2023 और तीसरे पर्यटन उपग्रह अकाउंट - 2015-16 का उपयोग करके गणना की है ।

*पर्यटन जीडीपी और पर्यटन रोजगार के शेयर में गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण है ।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बढ़े और पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित हो । इनका विवरण अनुबंध में दिया गया हैं ।

*****

अनुबंध

श्री के. नवासखनी द्वारा पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए मेगा-ट्रेंड्स की पहचान के संबंध में दिनांक 18.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †2375 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

i. स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास किया जाता है । पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक एवं गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण का अनुपालन करते हुए स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में परिवर्तित किया है ।

ii. तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) योजना संबंधी राष्ट्रीय मिशन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास ।

iii. नागरिकों को अपने देश की यात्रा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल की शुरूआत की गई ।

iv. अन्य निश उत्पादों में निरोगता पर्यटन, कलीनरी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, इको-पर्यटन आदि जैसे थीमेटिक पर्यटन का व्यापक रूप से संवर्धन किया जाता है ताकि अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन के दायरे का विस्तार किया जा सके ।

v. पर्यटन मंत्रालय मौसम संबंधी पहलू पर नियंत्रण करने और भारत को 365 दिनों के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए क्रूज, एडवेंचर, चिकित्सा और निरोगता, गोल्फ, पोलो, बैठक प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां (एमआईसीई), इको-पर्यटन, फिल्म पर्यटन, स्थाई पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन जैसे विशिष्ट पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देता है ।

vi. पर्यटन मंत्रालय के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय ने इन महत्वपूर्ण बाजारों में भारत को पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए विदेशों में स्थित 20 भारतीय मिशनों में पर्यटन अधिकारियों को पदनामित किया है ।

vii. ई-वीजा की 7 उप-श्रेणियों यथा ई-पर्यटक वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई-कॉन्फ्रेंस वीजा, ई-आयुष वीजा और ई-आयुष अटेंडेंट वीजा, ई-पर्यटक वीजा सुविधा 167 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है ।

viii. ई-वीजा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीजा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है ।

ix. पर्यटक गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए 1,001 रु. से 7,500 रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 12% और 7,501 रु. से अधिक के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को 18% कर दिया गया है ।

x. पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय के साथ उनकी आरसीएस-उड़ान योजना में सहयोग किया है । पर्यटन स्थलों के लिए हवाई संपर्क में सुधार लाने के लिए अब 53 पर्यटन मार्गों का प्रचालन शुरू हो गया है ।

xi. पर्यटन मंत्रालय अखिल भारतीय अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम नामक एक डिजिटल पहल चला रहा है जिसका लक्ष्य देश भर में सुप्रशिक्षित एवं

पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों का एक समूह तैयार करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच बनाना है ।

xii. बेहतर मानक सेवा मुहैया कराने के लिए श्रम-शक्ति के प्रशिक्षण और उन्नयन हेतु 'सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण योजना (सीबीएसपी) के तहत कार्यक्रमों का आयोजन ।

*****